सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 22.10.2024

जनपद-आजमगढ

01.थाना – अहरौला: पिकअप द्वारा पुलिस कर्मियों को घायल व फायरिंग करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार; घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन, अवैध असलहा व कारतूस बरामद ।

घटना का पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 18/10/2024 को वादी मुकदमा का0 सौरभ राय थाना अहरौला जनपद आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 17.10.2024 को समय लगभग 20.30 बजे प्राइवेट मोटरसाकिल नम्बर UP63AR9631 से हल्का नम्बर 01 मे देखभाल क्षेत्र व शान्ति व्यवस्था मेला ड्यूटी शाहपुर संपन्न कराकर थाना वापस आते समय मेहियापर व रेडहा के बीच प्रतिवादीगणों द्वारा जान मारने की नियत से एक राय होकर पिकप वाहन संख्या UP50ET4324 को चढा दिया गया व वादी मुकदमा व का0 परिक्षित दुबे के उपर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी । पीआरवी 5015 के कर्म0गण का0 पंकज यादव व हो0गा0 राम प्रवेश प्रजापति को भी जान से मारने की नियत से पिकप को प्रतिवादीगणो द्वारा चढा देना तथा गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी दी गयी व पीआरवी क्षतिग्रस्त हो गयी, के सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 445/2024 धारा-109/115(2)/121(1)/132/324(4)/352/351(2)/3(5) बीएनएस बनाम 1.इरसाद पुत्र इरफान निवासी ग्राम सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 2. नफीस पुत्र मंजूर निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व पिकप पर मौजूद 7-8 व्यक्ति नाम पता अज्ञात उ0नि0 रंजन कुमार साव के पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 20.10.2024 को थानाध्यक्ष मनीष पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 1.सुन्दरम मौर्या पुत्र श्रीप्रकाश मौर्या निवासी रसूलपुर जोखू अम्बारी थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष, 2.अर्जुन कुमार गौतम पुत्र सुरेन्द्र गौतम निवासी रम्मोपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष, 3.डब्लू उर्फ शैलेश यादव पुत्र सत्यदेव यादव निवासी हाजीपुर थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष, 4.वीरप्पन राजपूत चौहान पुत्र त्रिलोकी चौहान निवासी बेलसिया अम्बारी थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को घटना में प्रयुक्त 01 पिकप वाहन संख्या UP50ET4324, एक अवैध तमंचा देशी .315 बोर व एक जिंदा कारतूस .315 बोर व एक चाकू नाजायज व 03 मोबाइल व 800 रुपया के साथ बरामदपुर पुलिया से समय 22.20 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

➡अभियुक्त अर्जुन कुमार गौतम उपरोक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा देशी .315 बोर व एक जिंदा कारतूस .315 बोर तथा अभियुक्त सुन्दरम मौर्या उपरोक्त के कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया है।

➡गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अहरौला पर अभियुक्त अर्जुन कुमार गौतम उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 449/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व अभियुक्त सुन्दरम मौर्या के विरूद्ध मु0अ0सं0 450/24 धारा धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

02. थाना – कन्धरापुर: धर्मान्तरण कराने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि वादी हरिबंश मिश्रा पुत्र श्री दयाशंकर मिश्रा ग्राम वस्ती उगरपट्टी थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 20.10.2024 समय 11.00 बजे ग्राम मिरिया रेड़हा (नौउवन का पुरा) में राजाराम यादव पुत्र हंसराज यादव निवासी मिरिया रेडहा (नौउवन का टोला) थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ द्वारा गांव के लोगो को एकत्रित कर धन का प्रलोभन देते हुए दुसरे धर्म को अपनाने के लिये प्रेरित किया गया, विशेष धर्म को अपमानित करते हुए दुसरे का गुण गान करते हुए पूजन किया गया है, के सम्बन्ध में मु0अ0स0 300/2024 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 बनाम 1.राजाराम यादव पुत्र अज्ञात 2. कुछ व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध थाना स्थानीय पर दिनांक 20.10.2024 को पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 21.10.2024 को उ0नि0 जयप्रकाश मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त राजाराम यादव पुत्र हंसराज यादव निवासी मिरिया रेडहा (नौउवन का टोला) थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ को अभियुक्त के अपने गौशाला के दक्षिण कमरे में कुछ महिलाओ को इकट्ठा कर ईसाई धर्म अपनाने हेतु प्रेरित कर रहा है, जिसे समय करीब 10.20 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

जनपद –मऊ

1. ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत एससी/एसटी एक्ट में दोषसिद्ध 04 अभियुक्त 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व रू 3,000-3,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय SC/ST कोर्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 21-10-2024 को मु0अ0सं0 1052/2007 धारा 323, 504 भादवि व 3(1)10 SC/ST एक्ट थाना घोसी में दोषसिद्ध अभियुक्तगण विद्युत यादव पुत्र रामधारी यादव, राजेंद्र यादव पुत्र रामधारी यादव, बृजेश यादव पुत्र इंद्रजीत यादव निवासीगण बेलभद्रपुर, बालमुकुंद पुत्र बिंदेश्वरी निवासी खंततीय थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03-03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं रू3,000-3,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र नाथ राय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी कमलेश भारती थाना घोसी का सराहनीय योगदान रहा।

जनपद – बलिया

1. थाना सहतवार जनपद बलिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 0055/2023 धारा 363, 366A, 376D(A), 323, 504, 506 IPC व धारा 5G/ X पाक्सो एक्ट थाना सहतवार जनपद बलिया से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त जो काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु मा. न्यायालय द्वारा निर्गत NBW, धारा 82 सीआरपीसी, धारा 83 सीआरपीसी का आदेश जारी किया गया था, को सहतवार पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री विक्रान्त वीर के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय अनिल कुमार झा के सफल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बांसडीह महोदय श्री प्रभात कुमार व थानाध्यक्ष सहतवार श्री दिनेश पाठक के कुशल नेतृत्व में थाना सहतवार पुलिस को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.10.2024 को थाना सहतवार पर पंजीकृत मु.अ.सं. 0055/2023 धारा 363, 366A, 376D(A), 323, 504, 506 IPC, व धारा 5G/ X पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बब्लू कुमार पुत्र स्व. विनय राय निवासी

बस्ती जलाल थाना दिघवारा जिला सारण छपरा (बिहार) जो काफी लम्बे समय फरार चल रहा था जो मुकदमा उरोक्त में वांछित था जिसके विरूद्ध दिनांक 19.04.2023 को मा. न्यायालय श्रीमान् विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं. 8 जनपद बलिया के द्वारा NBW जारी किया गया तथा दिनांक 26.02.2024 को मा. न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा 82 सीआरपीसी की आदेशिका निर्गत की गयी थी जिसका तामिला थाना सहतवार पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.02.2024 को अभियुक्त के घर धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही करते हुए उसके दरवाजे पर एक प्रति चस्पा किया गया था । मा0 न्यायालय के निर्गत आदेश के क्रम वांछित अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किया जा रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु मिलने वाले संभावित स्थानों पर पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिस दी जा रही थी किन्तु अभियुक्त उपरोक्त दस्तेयाब नही हो रहा था लगातार फरार चल रहा था ।

दिनांक 06.09.2024 को मा. न्यायालय द्वारा धारा 83 सीआरपीसी की आदेशिका निर्गत की गयी । निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास किया गया जिसके क्रम में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बब्लू कुमार पुत्र स्व. विनय राय निवासी बस्ती जलाल थाना दिघवारा जिला सारण छपरा (बिहार) को सहतवार पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 21.10.2024 को समय करीब 08.10 AM रेलवे स्टेशन सहतवार से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

नोट- मुकदमा उपरोक्त में कुल 04 नफर अभियुक्त प्रकाश में आये थे जिनमें से 03 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था, अभियुक्त बब्लू कुमार की गिरफ्तारी शेष थी, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है ।

सम्बंधित अभियोग-

1. मु.अ.सं.- 0055/2023 धारा 363, 366A, 376D(A), 323, 504, 506 IPC, व धारा 5G/ X पाक्सो एक्ट थाना सहतवार जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. बब्लू कुमार पुत्र स्व. विनय राय निवासी बस्ती जलाल थाना दिघवारा जिला सारण छपरा (बिहार)

2. थाना बांसडीहरोड, जनपद बलिया द्वारा मु0अ0सं0 22/2024 धारा 326/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय श्री विक्रान्त वीर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार झा महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बांसडीह श्री प्रभात कुमार* व थानाध्यक्ष बांसडीह रोड श्री अखिलेश चन्द्र पाण्डेय के मार्गदर्शन में दिनांकः 21.10.2024 को थाना बांसडीह रोड पुलिस टीम के चौकी प्रभारी पुरास उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह मय हमराह का0 हरिकेश यादव, का0 संतोष यादव, का0 बृजेश कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 22/2024 धारा 326/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सोहन कुमार शाह पुत्र स्व0 काशीनाथ शाह निवासी मनियारी जसांव थाना बांसडीहरोड जनपद बलिया को मुखबिरी सूचना के आधार पर बांसडीह रोड रेलवे स्टेशन के पास से समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया । थाना स्थानीय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 26.01.2024 को थाना बांसडीह रोड पर वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मनियारी जसाव में मेरी दुकान हैं। दिनांक 26.01.2024 का सुबह लगभग 9.00 AM दुकान खोलेने को लेकर मेरी दुकान के भवन मालिक सहित चार लोगों ने छोटी सी बात को लेकर मुझे मां बहन की भद्दी भद्दी गालिया देने लगे। जब मैने ऐसा करने से मना किया तो चारों लोग मिलकर मुझे बुरी तरह लात घूसों से पीटे जिससे दाहिने हाथ की छोटी उँगली में काफी चोटे आई हैं। मेरे शोर गुल करने पर जब मेरे बचाव हेतु लोग आए तो चारों लोग पुनः लात घुसों से मारते हुए एवं जान से मारने की धमकी देकर मौके से हट बढ़ गए श्रीमान जी प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। उचित कानूनी कारवाई करने की कृपा करें।

उक्त सूचना पर थाना बांसडीह रोड द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी जिसमें साक्ष्य संकलन व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 326 भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त सोहन कुमार शाह उपरोक्त की गिरफ्तारी की गयी है।

संबंधित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 22/2024 धारा 326/323/504/506 भादवि थाना बांसडीह रोड बलिया (बढ़ोत्तरी धारा 326 भादवि)

गिरफ्तार नामित वांछित अभियुक्त-

1. सोहन कुमार शाह पुत्र स्व0 काशीनाथ शाह निवासी मनियारी जसांव थाना बांसडीहरोड जनपद बलिया

3. थाना भीमपुरा जनपद बलिया पुलिस द्वारा 02 अदद तमंचा नाजायज .315 बोर व 01 अदद नाजायज पिस्टल .32 बोर व 01 अदद मोटर साइकिल के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री विक्रान्त वीर के निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (उत्तरी), के सफल पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय रसड़ा मो0 फहीम कुरैशी के कुशल मार्गदर्शन में थाना भीमपुरा पुलिस टीम को मिली सफलता।

आज दिनांक 21.10.2024 को भीमपुरा थानाध्यक्ष श्री मदन पटेल मय हमराह उ0नि0 वरुण कुमार राकेश मय हमराह का0 मधुकर उपाध्याय तथा हे0का0 बृजेश सिंह व का0 सत्यम मौर्या के देखभाल चेकिंग में मामूर होकर महादेवा बार्डर पर मौजूद होकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मोटर साइकिल हीरो होण्डा पैशन प्लस पर सवार एक व्यक्ति अपने पीठ पर बैग टांगे भीमपुरा नं0 1 से बैलौली की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो अचानक पीछे मुड़ कर भागने का प्रयास करने लगा कि मोटर साइकिल सहित फिसलकर गिर गया सन्देह होने पर हमराही कर्मचारीगण की मदद से घेर घार कर हल्का बल प्रयोग कर मौके से पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तथा भागने का कारण पूछा गया तो उसने अपना नाम भीम सिंह पुत्र स्व0 उदय नारायण सिंह निवासी पतोई थाना भीमपुरा जनपद बलिया उम्र करीब 20 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी से पीठ पर लिए पिट्ठू बैग से 02 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद पिस्टल .32 बोर नाजायज बरामद हुआ। अभियुक्त का यह कृत्य अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध है। अतः जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 233/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर नियमानुसार चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 233/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भीमपुरा जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. भीम सिंह पुत्र स्व0 उदय नारायण सिंह निवासी पतोई थाना भीमपुरा जनपद बलिया

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-170/24 धारा 3(1)घ,3(1)द,3(2)(va) SC/ST एक्ट व 115(2),191(2),191(3),351(2) ,352 बीएनएसएस थाना भीमपुरा जनपद बलिया
2. मु0अ0सं0-192/24 धारा 3(1)घ, 3(1)द ,3(2)(va) SC/ST एक्ट व 115(2),127(2)191(2), 351(2) ,352 बीएनएसएस थाना भीमपुरा जनपद बलिया

बरामदगी-

1. 02 अदद अवैध तमंचा .315 बोर
2. 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर

3. 01 अदद मोटर साइकिल (हिरो होण्डा पैशन प्लस)

4. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 3(2)(V) SC/ST एक्ट के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आरोपी 01 नफर अभियुक्त को आजीवन वर्ष के सश्रम कारावास व 40,000/- (चालीस हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

दिनांक 21.10.2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना नगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 394/2023 धारा 363,366 भा.द.वि व 5L/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)(V) से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त सचिन कुमार राजभर पुत्र सुकालू राजभर निवासी ग्राम ताड़ी बड़ागांव थाना नगरा बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट)- 08 जनपद बलिया द्वारा-

धारा 6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/-(बीस हजार) रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

धारा 363 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/-(पाँच हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

धारा 366 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/-(पाँच हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(2)(V) SC/ST एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 10,000/-(दस हजार) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 09 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन अधिकारी- लोक अभियोजक - श्री राकेश पाण्डेय

5. थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया पुलिस द्वारा अबैध अपमिश्रित कच्ची देशी शराब व शराब बनाने के उपकरण/ सामान को नष्ट कर, शराब निष्कर्षण की रोकथाम का किया गया उत्कृष्ठ प्रयास।

पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण के विरूद्ध की गयी कार्यवाही में लगभग 1000/- लीटर लहन को नष्ट किया गया।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय श्री विक्रान्त वीर के निर्देशन मे अवैध शराब की बिक्री/निष्कर्षण व अन्य मादक पदार्थो के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन अभियान के तहत श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर महोदय के कुशल नेतृत्व मे थाना सिकन्दरपुर के अपराध निरीक्षक श्री नरेश कुमार मलिक मय हमराह पुलिस फोर्स के लिलकर दियरा नदी के किनारे व नदी में बने टापू पर छापा मारी करते हुए अवैध कच्ची देशी शराब बनाने के उपकरण, लहन, नौसादर, फिटकिरी आदि सामाग्री सहित लगभग 1000/- लीटर लहन को नष्ट किया गया। मौके पर कोई भी शराब बनाने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं मिला। शराब निष्कर्षण की रोकथाम हेतु अभियान जारी है।

6. थाना रेवती जनपद बलिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 214/2024 धारा 363,366,376(3) भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री विक्रान्त वीर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रेवती पुलिस को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि थाना रेवती पुलिस टीम के व0उ0नि0 प्रभाकर शुक्ल मय हमराह उ0नि0 आशुतोष मद्धेशिया, का0 संतराज यादव देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, तलाश वांछित अभियुक्त में दिमागी चट्टी पर मौजूद थे कि मुखबिरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-214/2024 धारा 363,366,376(3) भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त अजय पासवान पुत्र स्व0 दीनदयाल पासवान नि0 जयपुर थाना इटाढ़ी जनपद बक्सर बिहार हा0मु0 वार्ड नं0 2

कस्बा रेवती थाना रेवती जनपद बलिया उम्र 21 वर्ष को बस स्टैण्ड तिराहा हनुमान मंदिर के पास से समय 11.00 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-214/2024 धारा 363,366,376(3) भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना रेवती जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अजय पासवान पुत्र स्व0 दीनदयाल पासवान नि0 जयपुर थाना इटाढ़ी जनपद बक्सर बिहार हा0मु0 वार्ड नं0 2 कस्बा रेवती थाना रेवती जनपद बलिया उम्र 21 वर्ष

7. थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार, अभियुक्ता के कब्जे से 20 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची देशी शराब बरामद ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय श्री विक्रान्त वीर के निर्देशन मे अवैध शराब की बिक्री/निष्कर्षण व अन्य मादक पदार्थो के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन अभियान के तहत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के सफल पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर महोदय के कुशल नेतृत्व मे थाना सिकन्दरपुर पुलिस को मिली सफलता।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.10.2024 को थाना सिकन्दरपुर पुलिस टीम के प्र0अ0नि0 नरेश कुमार मलिक मय हमराह पुलिस फोर्स के साथ देखभाल क्षेत्र पेंण्डिग विवेचना, तलाश वांछित/ वांरटी व रोकथाम जुर्म जरायम मे लखनापार चट्टी पर मामूर थे कि मुखबीर खास द्वारा सूचना मिली कि बहद ग्राम लखनापार नहर के पास एक महिला अपने हाथ में लिए प्लास्टिक की जरिकेन में अवैध कच्ची शराब के साथ खड़ी है। इस सूचना पर तत्काल सिकन्दरपुर पुलिस टीम द्वारा लखनापार नहर के पास खड़ी महिला/अभियुक्ता सरिता लोहार पत्नी राम प्रकाश लोहार निवासिनी जुरीया करम टोली थाना लोहरदगा जनपद लोहरदगा राज्य झारखण्ड, वर्तमान पता ग्राम खैरा थाना नगरा जनपद बलिया उम्र 35 वर्ष को पकड़ लिया गया। जिसके कब्जे से 20 लीटर अबैध अपमिश्रित कच्ची देशी शराब बरामद हुयी। पकड़ी गयी महिला अभियुक्ता सरिता लोहार उपरोक्त को समय 16.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 307/24 धारा 60 Ex Act पर पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 307/24 धारा 60 Ex Act थाना सिकन्दरपुर, बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सरिता लोहार पत्नी राम प्रकाश लोहार निवासिनी जुरीया करम टोली थाना लोहरदगा जनपद लोहरदगा राज्य झारखण्ड, वर्तमान पता ग्राम खैरा थाना नगरा जनपद बलिया

बरामदगी-

01. 20 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची देशी शराब